

न्यायालय: सिविल जज(सी0डि0) जलेसर, एटा।
सिविल प्रकीर्ण वाद संख्या-19/2022
मै0 केपिटल साल्ट पीसई ---बनाम---यूनियन आफ इण्डिया रेलवे

11.10.2023

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार पर आवेदक अनुपस्थित है। वादी द्वारा उक्त प्रकीर्ण वाद प्रतिवादी के विरुद्ध योजित किया गया था। आदेश पत्र के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली वास्ते 3ग2 हेतु नियत है। आवेदक अनुपस्थित हैं न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा न ही उसकी की ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रकीर्ण वाद आवेदक की अनुपस्थिति में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रकीर्ण वाद आवेदक की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज (सी0डि0)
जलेसर, एटा।